राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः **F.59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17 /** 3504 दिनांकः 30/07/18

आदेश

प्रायः यह देखा गया है, कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविरों में राज्य की नगरीय निकायों में 17.06.1999 से पूर्व की बसी हुयी कॉलोनियों एवं 17.06.1999 के बाद की बसी हुयी कॉलोनियों के ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु सर्वे किया गया है, जिनका भुगतान नगरीय निकायों द्वारा कन्सलटेन्सी फर्मो को किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है। अतः उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है, कि पूर्व में अनुमोदित किये गये ले–आउट प्लान जिनका सर्वे किया जा चुका है, उनको जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करते हुये सम्मिलित किया जावें। चुंकि जिन कॉलोनियों का सर्वे पूर्व में ले–आउट प्लान बनाते समय किया जा चुका है उन कॉलोनियों का सर्वे पृथक से जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करते समय किये जाने की आवश्यकता नही हैं। साथ ही जोनल डवलपमेंट प्लान हेतु कार्य में एक ही कार्य का दुबारा भुगतान न हो, जिनका भुगतान ले–आउट प्लान के सर्वे के समय किया चुका हो। नगरीय निकाय स्तर पर इसकी सुनिश्चिता की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांकः **F.59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17 /** 3505-3514 दिनांकः 30/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
   जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
7. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

30/07/2018
अति. मुख्य नगर नियोजक

E:\A Computer Data\F\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx